तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 97/16 हुक्माराम बं रावा वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
22.3.17	वकील वादीगण उपस्थित व प्रतिवादी एकतरफा। वकील वादीगण की बहस दिनांक 8.3.17 को सुनी गई थी। वकील वादी की बहस थी कि वादीगण के दादा गोमा व प्रतिवादी रावा के पिता गोमा व भीमा एवं हरा उर्फ रूपा के संयुक्त नाम से पर्ती लगान खाते खसरा संख्या 481, 417, 476, 443 कुल रकबा 557-05 बीघा भूमि का स्थित ग्राम- मन्यावला वर्तमान राजस्व ग्राम- केसूला पाना तहसील सिणधरी का खाता दर्ज था। जिसमें भीमा, हरा उर्फ रूपा उर्फ डेरामी व गोमा प्रत्येक का 1/3, 1/3 हिस्सा था। कि वादीगण के दादा गोमा के औलाद लड़का नहीं होने के कारण अपने जीवनकाल में भाई के पुत्र आयला को हिन्दु रीति रिवाज से गोद ले लिया था। वादीगण के पिता आयला को गोद लेने के बाद गोमा के प्रतिवादी रावा का जन्म हुआ। और गोमा की मौत होने पर नाबालिग [illegible] [illegible] 82 के जरिये गोमा की	

सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर ... अहकाम ... की तामील ... तारीख हुकम ... हुए

खातेदारी भूमि के वारिसान
के रूप में आधा व प्रतिवादी
राना का नाम खातेदारी में दर्ज
किया जाकर और दोनों आधे अपने
1/6, 1/6 हिस्से पर कब्जा
काश्त करते चले आ रहे थे।
प्रतिवादी राना ने अपने पिता की
मौजूदगी पर अपना माता बापू
का नाम दर्ज करवाया गया
जो अभी वर्ष 2011 में फौत
हो गई है। उक्त मौतबिक रिकॉर्ड
खातेदारी भूमि का हकखातेदारों
से नामान्तरण सं. 264, से 266
के भूमि का बटवारा करवा लिया
और वादीगण के पिता अमृता की
प्रतिवादी राना ने 1/3 हिस्से के से
1/6 हिस्सा, 1/6 हिस्सा आदि) और
बटवारे के बाद वादीगण को पिता
अमृता के नाम खातेदारी खसरा के
417, 481, 483 कुल रकबा 88.05
बीघा व प्रतिवादी राना के नाम
खसरा संख्या 417, 481, 483 कुल
रकबा 88.12 बीघा कायम हुआ
और इसी हिस्सेदार पक्षकारान
की मौके पर कब्जा काश्त
चला आ रहा है। आगे और
[illegible] किया [illegible] की रात

सहायक कलक्टर
SDO सिंगधरी

Scanned by CamScanner

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
	1965 मे वादीगण के दादी फौत होने पर नामान्तकरण क्र० 82 के जरिये प्रतिवादी राना ने अपना व वादीगण के पिता अल्ला का नाम दर्ज करवाया गया। जबकि उनकी माता बापूदेवी का भी नाम दायर करवाया जाना चाहिए था, लेकिन प्रतिवादी राना ने जानबूझकर माता का नाम दर्ज नही करवाया गया और उनको उनके हक हकूक से महरूम रखा गया। कि वादीगण के पिता अल्ला का सन 2001 मे फौत होने पर उनके वारिसान वादीगण का नाम नामान्तकरण क्र० 24 के जरिये दर्ज किया गया। लेकिन प्रतिवादी राना ने राजस्व कर्मियों से मिली भगत करते हुए नामान्तकरण भरने के बाद होते अज्ञात से चोरी छुपके बापूदेवी का भी वादीगण के जानकारी नाम दर्ज करवा दिया। जबकि वादीगण को पहले पता भी नही था और न ही बापूदेवी उसकी है। कि बापूदेवी सन 2011 मे फौत हो गई है और वादग्रस्त भूमि के गलत नवीस्ट का फायदा	

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम की तारीख हुआ
सहायक कलक्टर SDO सिणधरी	उक्त प्रतिवादी राणा वादग्रस्त आराजी में भी अपना नाम दर्ज करवाना चाहता है, जबकि उसको कोई हक नहीं है, क्योंकि उसको वादीगण के दादा व प्रतिवादी राणा के पिता गोमा के हिस्से में से जमीन मिल चुकी है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम-केराला पानी की खसरा संख्या 490/417, 499/443, 521/481 कुल रकबा 88-05 बीघा आराजी में गलत तरीके से करवाई गई प्रविष्टि धापू बेवा गोमाराम को निरस्त करते हुए, काश्तकारी खाते वादीगण की घोषित की जावे। साथ ही वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा एवं आदेश की जारी की जावे, कि वादीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करे। हमने वकील वादीगण की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, दस्तावेजात एवं बयानात का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। तथा तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। क्योंकि वादी	

तारीख हुकम

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
	कि वादग्रस्त आराजी की मिसल बन्दोबस्त संवत 2012 से 2031 तक मूल ग्राम - मन्डावला (वर्तमान में राजस्व ग्राम - केवाला पाना) के मूल खेत खसरा संख्या 481, 417, 476, 443 कुल रकबा 557-05 बीघा आराजी भीमा, धाराम, गोमा पि. मंगा कौम जाट सा. देह हिस्सा बराबर के नाम जारी हुई थी। इससे प्रमाणित है कि तीनों का बराबर बराबर 1/3, 1/3 हिस्सा था। जिनके वादीगण के दादा व प्रतिवादी राणा के पिता गोमा का 1/3 हिस्सा वादग्रस्त आराजी के था। ग्रामवासी के उक्त नामान्तरकरण नं. 82 से प्रमाणित है कि कॉलम संख्या 5 के खातेदार भीमा, धाराम, गोमा पि. मंगा कौम जाट सा. देह बा. हिस्सा बराबर दर्ज थी। और उक्त नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 14 में गोमा के फौत होने और उसके वारिसान के नाम दर्ज करने की रिपोर्ट का अंकन है। एवं इसी नामान्तरकरण के कॉलम नं. 11 में गोमा के फौत होने पर उसके वारिसान के राणा वगैरह गोमा कौम जाट हिस्सा 1/6, अन्यथा	

सहायक कलेक्टर
SDO मिण्धारी

Scanned by CamScanner

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम की तारीख तारीख हुकम
	रघोले गोमा हिस्सा 1/6 अंकन किया गया और ग्राम पंचायत पालना संख्या द्वारा नामान्तकरण को दिनांक 5.5.1965 को पारित किया गया। इससे प्रमाणित होता है, कि वादीगण के दादा अन्नसा व प्रतिवादी राणा का [illegible] भूमि मे कुल 1/3 हिस्से मे 1/6, 1/6 हिस्सा प्राप्त हुआ था। तत्पश्चात [illegible] भूमि का आपसी बटवारा करवाया गया। जिसके नामान्तकरण नं० 264 के जरिये भीमाराम पुत्र मगाराम की पृथक खातेदारी भूमि का अंकन हुआ। जो उक्त नामान्तकरण से प्रमाणित है। नामान्तकरण नं० 265 के जरिये डायाराम पुत्र मगाराम की भूमि का अंकन हुआ है। जो उक्त नामान्तकरण से प्रमाणित है। नामान्तकरण संख्या 266 के जरिये राणा पुत्र गोमा को खसरा संख्या 417, 481, 483 कुल रकबा 88.12 बीघा व वादीगण के पिता अचला को खसरा संख्या 417, 481, 483 कुल रकबा 88.05 बीघा भूमि कायम हुई। जो नामान्तकरण नं. 266 से प्रमाणित है।	

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
	इससे स्पष्ट साबित है कि वादीगण के दादा गोमा व प्रतिवादी के पिता गोमा का कुल राशि में 1/3 हिस्सा था। और इसके फौत होने पर गोद पुत्र अल्पा व पोइडा लड़का प्रतिवादी राणा का नाम खातेदारी के दर्ज हुआ और आपसी बटवारा में राशि अलग 2 करते हुए कुल 1/3 हिस्से के 1/6, 166, हिस्सा वादीगण के पिता अल्पा व प्रतिवादी राणा को प्राप्त हुआ। कि वादीगण के पिता अल्पाराम के फौत होने पर भरे गये नामान्तरण संख्या 24 में वारिसान के रूप में वादीगण का नाम दर्ज किया गया। और साथ ही छोटे अक्षरों में बीच में धापू बेवा गोमा का नाम अंकन किया गया। उक्त धापू बेवा गोमा के इन्द्राज किस सक्षम अधिकारी/ निर्णय से किया गया। ऐसा न ही उक्त नामान्तरण की पुश्त पर विवरण अंकित है और न ही कोई ऐसी नामान्तरण पर टिप्पणी की गई है। इससे प्रमाणित है	

सहायक कलक्टर
SDO सिवाना

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	कि धापू बेवा गोमा को प्रतिवादी बिना सक्षम कार्यवाही / निर्णय के की गई है। जो विधि विरुद्ध है। क्योंकि मृतक गोमा का देहान्त सन 1965 में हुआ था। तत्समय गोमा के वारिसान के रूप में भरा गया नामान्तरकरण सं. 82 में वादीगण के पिता अमला व प्रतिवादी राणा के साथ माता धापूदेवी का नाम दर्ज किया जाना चाहिए था। जो तत्समय नहीं नाम दर्ज किया गया। और केवल मात्र अमला व प्रतिवादी राणा का ही नाम दर्ज किया गया। जबकि वादीगण के पिता अमला व प्रतिवादी राणा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 266 के जरिये अपने² अलग² खातेदारी करवा दी। और मौके पर वादग्रस्त भूमि का बंटवारा भी करवा लिया। चूंकि पत्रावली के संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र प्रति के अनुसार धापूदेवी का सन 2011 में देहांत हो गया है और प्रतिवादी राणा को मृतकी पिता गोमा के हिस्से के पहले ही 1/6 हिस्से की भूमि

सहायक कलेक्टर
SDO भिण्डारी

Scanned by CamScanner

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
	मिल चुकी है और प्रतिवादी राणा नामान्तरकरण क्र. 24 के जरिये वादग्रस्त भूमि के गलत तरीके से की गई प्रविष्टि धापू देवी के नाम का गलत तरीके से फायदा उठाकर अपना नाम दर्ज करवाना चाहता है, जो प्रतिवादी राणा इसका हकदार नहीं है, क्योंकि 6 गोमा के खाते में से प्रतिवादी राणा को भूमि खसरा नं० 489/417, 498/443, 500/481 कुल रकबा 88.12 बीघा भूमि मिल चुकी है। और वादग्रस्त भूमि के केवल मात्र वादीगण ही हकदार है जो उपलब्ध रिकार्ड से प्रमाणित है। एवं वाद के समर्थन को स्वतंत्र गवाहान PW-2 बीरमा, PW-3 आसमाराम व PW-4 नवलाराम ने अपने-अपने बयानों मे जाहिर किया गया। कि वादग्रस्त भूमि आसाराम की खातेदारी की थी आसाराम के फौत होने पर नामान्तरकरण क्र० 24 दर्ज करने के दौरान वादीगण के साथ साथ आसाराम की माता धापूदेवी का नाम दर्ज	

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम की तारीख हुकम
सहायक कलक्टर SDO सिणधरी /	पर नामान्तकरण पारित करना किया। धापूदेवी फौत हो चुकी है। चूंकि वादग्रस्त भूमि वादीगण के पिता अचलाराम की खातेदारी की थी, और वादीगण उक्त भूमि के रिकॉर्ड से धापूदेवी की प्रविष्टि अपने हक में निरस्त करवाते हुए अचलाराम की 88-05 बीघा भूमि अपनी आधी खातेदारी के दर्ज करवाने के अधिकारी है। उपरोक्त बयानों से भी प्रमाणित होता है कि धापूदेवी का देहान्त हो गया है जो धापूदेवी का मृत्यु प्रमाण पत्र EXP-9, प्रदर्शित PW-01 द्वारा अपने बयानों में कराया गया है। इस प्रकार वादीगण वादग्रस्त भूमि में अंकित प्रविष्टि धापूदेवी के फौत होने पर निरस्त करवाते हुए, आधी भूमि अपनी खातेदारी में दर्ज करवाने के हकदार है। एवं प्रतिवादी राणा बावजूद तामील के अपनी पैरवी हेतु न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ है। इससे अदालत को यह प्रतीत होता है कि वादीगण के वाद स्वीकार किये जाने की उनकी मांग स्वीकृत है।	

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
	उपरोक्त विवेचन के उपरांत अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि वादीगण के वाद पत्र, बयानात एंव दस्तावेजी के संलग्न उपलब्ध राजस्व रिकार्ड से प्रमाणित होता है, कि मुतवफी गोमा के वारिसान मे वादीगण के पिता अचला व प्रतिवादी राणा एंव गोमा की पत्नि धापूदेवी थी। गोमा के फौत होने पर करे गये नामान्तकरण सं0 82 मे केवल मात्र अचला व राणा का ही नाम दर्ज किया गया। और धापूदेवी का नाम दर्ज नही किया। जो तत्समय ही करे गये नामान्तकरण मे दर्ज किया जाना चाहिए था। तत्पश्चात नामान्तकरण सं. 268 के जरिये वादीगण के पिता अचला व प्रतिवादी राणा के 1/6, 1/6 हिस्से अनुसार अलग 2 खातेदारी जरिये बंटवारा दर्ज की गयी जो नामान्तकरण सं0 24 सन् 1977 से पारित हुआ जो	

सहायक कलेक्टर
SDO मिण्डारी

Scanned by CamScanner

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो की तामील हुए
	वादीगण के पिता अचला के बाद 2001 से कोर्ट कहीं पर कटे गये नामान्तरण संख्या 24 में वादीगण का नाम दाखिल किया गया और बीच में छोटे अक्षरों में धापू देवा गोमा लिखा गया। जो बिना सक्षम अधिकारी के आदेश/निर्णय से लिखा गया था। चूंकि धापूदेवी फौत हो चुकी है और वादीगण वादग्रस्त भूमि के धापूदेवी के नाम की प्रविष्टि निरस्त करवाते हुए, कायमी खातेदारी घोषित करवाने एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी है। लिहाजा वादीगण का दावा आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम- केराला पाना पश्चिम तहसील पायला कलां जिला बाड़मेर की खेत खसरा संख्या 490/417, 499/443, 521/481 कुल रकबा 88-05 बीघा भूमि के राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी) में विधिमान्य प्रविष्टि धापू देवा गोमाराम के फौत होने के कारण निरस्त करते हुए, वादग्रस्त भूमि वादीगण की आवगी खातेदारी घोषित की जाती है। साथ ही वादीगण	

सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
	के पक्ष मे प्रतिवादी नं० 1 के विरुद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है, कि वादीगण की खातेदारी भूमि मे दखलअन्दाजी नही करे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 22.3.12 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] 22.3.12 सहायक कलक्टर SDO सिणधारी	

अंतिम डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20,रूल 6–7,जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code,Appendix “d”1)

अज अदालत सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी बमुकाम सिणधरी

ब इजलास श्री नाथूसिह राठौड़,आर.ए.एस.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1- डूंगाराम] पिसरान अत्माराम 2- सताराम] जाति- जाट, निवासी- केसला पाना तहसील सिणधरी		1- राणा पुत्र गोमा जाति- जाट निवासी केसला पाना तह- सिणधरी 2- तहसीलदार सिणधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,90,91,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद स.– 97/2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय बहाजरी श्री बलवन्तसिंह चौधरी वकील मिनजानिब व प्रतिवादीगण एकतरफा मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं व डिकरी दी जाती हैं, कि वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम- केसला पाना पसता क्षेत्र पांचला वाला तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 490/417, 497/443, 521/481 कुल रकबा 88-05 बीघा भूमि के राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी) मे विद्यमान प्रविष्टि धापू बेवा गोमाराम के फौत होने के कारण निरस्त करते हुए, वादग्रस्त भूमि वादीगण की आतगी खातेदारी घोषित की जाती है। वादीगण के पक्ष मे प्रतिवादी सं01 के विरुद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादीगण की खातेदारी भूमि मे दखलअंदाजी नही करे। बीजि मुबलिग – बाबत

खर्चा इस मुकदमे के मय सद व शरह -----फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ------ को अदा करे ।

बसख्त मेरे दस्खत व मुहर अदालत के आज तारीख 22/3/17 को जारी की गई ।

[signature] 22/3/17

सहायक कलक्टर

(एस.डी.ओ.)सिणधरी

सहायक कलेक्टर

SDO सिणधरी

Scanned by CamScanner